न्यायालय-मधुसूदन जंघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)

<u>दाण्डिक प्र0क्र0:-732 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक:-23.08.2013</u> फाईलिंग नं. 234503001522013

म०प्र० राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट (म०प्र०)

अभियोजन

!! विरुद्ध !!

- 1.कृष्णाकुमार पिता स्व0 करीमालाल देशराज, उम्र–50 वर्ष, जाति चमार ग्राम बोदा थाना गढ़ी।
- 2.विजेन्द्र कुमार पिता कृष्णाकुमार, उम्र—23 वर्ष, जाति चमार, ग्राम बोदा थाना गढ़ी।
- 3.इन्द्राबाई पति कृष्णाकुमार देशराज, उम्र–48 सालजाति चमार ग्राम बोदा थाना गढ़ी।

.....आरोपीगण

4.गीताबाई पति राजेश कुमार भाण्डे, उम्र—25 वर्ष, जाति चमार निवासी ग्राम बाजाबोरिया थाना बम्हनी जिला मण्डला। (मृत)

<u>!! निर्णय !!</u> (दिनांक **25/06/2018** को घोषित किया गया)

- 01. उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 01.07.2013 को सुबह करीब 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम बोदा में फरियादी धरमसिंह के घर के सामने फरियादी धरमसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, धरमसिंह एवं उषाबाई को हथौड़ा, सायिकल पंप, चक्का थ्रू करने के स्टेण्ड से मारपीट कर उपहित कारित करने, इस प्रकार धारा—294, 324/34 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध कारित करने का आरोप है।
- 02. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य है कि दिनांक 21.06.2018 को आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य राजीनामा होने से आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा—506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा धारा—294, 324/34 भा.द.वि. राजीनामा योग्य न होने से उस पर विचारण किया गया।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 01.07.2013 को सुबह 8:00 बजे फरियादी धरमसिंह अपने घर के सामने

मंजन कर रहा था, उसी समय फरियादी का पड़ौसी आरोपी विजेन्द्र ने कहा कि परेशान क्यों करते हो, उसी समय सभी आरोपीगण आकर फरियादी से कहने लगे कि उसने आरोपीगण की लड़की सविता को खा लिया है, जब फरियादी ने मना किया कि क्यों शंका करते हो, वह तथा उसकी प्रत्नि जादूटोना नहीं करते। इसके बाद आरोपीगण फरियादी को मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देकर हथौड़ा, सायिकल पंप, चक्का थ्रू करने के स्टेण्ड से मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नि उषाबाई बीच—बचाव करने आई तो उसे भी आरोपीगण मारपीट किये। आरोपीगण में जाते समय फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दिये। घटना के उपरांत फरियादी ने थाना गढ़ी में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप०क०—35/13 धारा—294, 323/34, 324/34, 506 भाग—दो भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा—294, 324/34, 506 भाग—दो भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है। आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य में कोई विपरीत कथन न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 01.07.2013 को सुबह करीब 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम बोदा में फरियादी धरमसिंह के घर के सामने फरियादी धरमसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादीगण को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उक्त सामान्य आशय के

<u>फाईलिंग नं. 234503001522013</u>

अग्रसरण में फरियादी धरमसिंह एवं आहत उषाबाई को हथौड़ा, सायिकल पंप, चक्का थ्रू करने के स्टेण्ड से मारपीट कर उपहित कारित किया ?

—:: <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> ::— विचारणीय प्रश्न कमांक—01

06. नंदलू अ.सा.01, धरमसिंह अ.सा.02, उषाबाई अ.सा.03 ने आरोपीगण द्वारा गाली—गलौच किये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। फरियादी धरमसिंह अ.सा.02 और उषाबाई अ.सा.03 को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपीगण ने मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियों दी थी। उक्त साक्षियों ने गालियों की अश्लील प्रकृति एवं क्षोभ कारित होने के बारे में भी कथन नहीं किया है। स्वयं फरियादी एवं आहत द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फलतः आरोपीगण द्वारा फरियादी को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-2

07. फरियादी धरमिसंह अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपीगण कृष्णा, विजेन्द्र एवं इन्द्राबाई को जानता है, कृष्णा उसका बड़ा भाई। इंद्राबाई उसकी भाभी एवं विजेन्द्र उसका भतीजा है। आरोपी गीताबाई उसकी भतीजी थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। घटना लगभग पांच वर्ष पूर्व सुबह 8:00 बजे की है। वह अपने घर के सामने मंजन कर रहा था, तो आरोपीगण जादूटोना की शंका को लेकर उससे व उसकी पितन उषाबाई से विवाद कर रहे थे। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। वाद—विवाद के अलावा और कोई घटना नहीं हुई। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी विजेन्द्र ने फावड़े से, गीता ने हवा भरने के पंप से, इंद्राबाई ने सायिकल का चका थ्रू करने वाले स्टेण्ड से मारपीट की थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं कथन प्र.पी.02 में आरोपी विजेन्द्र द्वारा फावड़ें से, गीता द्वारा हवा भरने के पंप से, इंद्राबाई द्वारा सायिकल का चका थ्रू करने वाले स्टेण्ड से

मारपीट करने वाली बात बताई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके सगे रिश्तेदार है और उनसे राजीनामा कर लिया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि केवल मौखिक विवाद हुआ था। इस प्रकार स्वयं फरियादी धरमसिंह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

- उषाबाई अ.सा.०३ ने बताया है कि वह आरोपीगण कृष्णा, विजेन्द्र एवं इन्द्राबाई को जानती है। कृष्णा उसका जेठ, इंद्राबाई उसकी जेठानी, एवं विजेन्द्र उसका भतीजा है। आरोपी गीताबाई उसकी भतीजी थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। घटना लगभग पांच वर्ष पूर्व सुबह 8:00 बजे की है। उसके पति धरमसिंह घर के सामने मंजन कर रहे थे, तो आरोपीगण जादूटोना की शंका को लेकर उससे व उसके पति धरमसिंह से विवाद कर रहे थे। उसके पति ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। वाद-विवाद के अलावा और कोई घटना नहीं हुई। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी विजेन्द्र ने फावड़े से, गीता ने हवा भरने के पंप से, इंद्राबाई ने सायकिल का चका थ्रू करने वाले स्टेण्ड से मारपीट की थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को कथन प्र.पी.03 में आरोपी विजेन्द्र द्वारा फावड़े से, गीता द्वारा हवा भरने के पंप से, इंद्राबाई द्वारा सायकिल का चका थ्रू करने वाले स्टेण्ड से मारपीट करने वाली बात बताई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके सगे रिश्तेदार है और उनसे राजीनामा कर लिया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रही है। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि केवल मौखिक विवाद हुआ था। इस प्रकार स्वयं आहत उषाबाई ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।
- 09. नंदलू अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थीगण को जानता है। घटना दो वर्ष पूर्व सुबह 7:00 बजे उसके घर के सामने की है। वह खेत गया हुआ था। खेत से आने के बाद उसे झगड़े की जानकारी हुई थी, परंतु

उसने स्वयं विवाद नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि उसने किसी को झगड़ा करते नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले समर्थन नहीं किया है।

- 10. इस प्रकार फरियादी धरमसिंह एवं आहत उषाबाई ने आरोपीगण द्व ारा मॉ—बहन की अश्लील गाली देने एवं मारपीट करने के बारे में नहीं बताये हैं। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये हैं। स्वतंत्र साक्षी नंदलू अ.सा.01 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। आरोपीगण और फरियादी धरमसिंह तथा आहत उषाबाई के मध्य राजीनामा हो गया है। फरियादी धरमसिंह तथा आहत उषाबाई द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट(देहली एडिमनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010(2) म.प्र. वी.नो.79 म.प्र. अवलोकनीय है।
- 11. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 01.07.2013 को सुबह करीब 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम बोदा में फरियादी धरमसिंह के घर के सामने फरियादी धरमसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं धरमसिंह एवं उषाबाई को हथौड़ा, सायकिल पंप, चक्का थ्रू करने के स्टेण्ड से मारपीट कर उपहित कारित किया। फलतः आरोपीगण को धारा—294, 324/34 भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 13. आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय

में एक विवरण धारा—428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण की पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

14. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लोहे की हथौड़ी, सायिकल का चिमटा का चका थ्रू करने का स्टेण्ड, एक सायिकल के चका में हवा भरने का पंप मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) ''मेरे निर्देश पर टंकित किया''

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

